[श्री प्रिय रंजनदास मुंशी]

मार्क्सवादी दल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमें समर्थन देना चाहते हैं किन्तु वे नहीं दे पा रहे हैं और मुझे आशा है कि वह दिन दूर नहीं है जब बड़ी संख्या में मार्क्सवादी अपने नेताओं का उल्लंघन कर श्रीमती गांधी के कार्यक्रम को समर्थन देंगे ।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री, अंतरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : कल यह आलोचना की गई थी कि सरकार का उद्देश्य दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादियों के विरुद्ध कार्यवाही करना नहीं है किन्तु वापपंथियों के विरुद्ध कार्यवाही करना है । मैंने कल का भाषण बड़े ध्यान से सुना किन्तु किसी भी साम्प्रदायिक दल की आलोचना नहीं की गई है क्योंकि उनका उनके साथ गठबन्धन है ।

कुछ लोग गिरफ्तार किये गये हैं । इनमें सबसे बड़ी संख्या राजनीतिक लोगों की नहीं है किन्तु उन लोगों की है जो हिंसा अथवा अपराध करते हैं और जो समाज विरोधी तत्व के रूप में जाने जाते हैं । इनके बाद वे लोग हैं जो साम्प्रदायिक दलों अथवा गुटों से सम्बन्धित हैं और आतंक तथा हत्याएं करते हैं ।

यह कहा गया है कि कर्मचारियों पर जुल्म किया गया है किन्तु सम्भवत: माननीय सदस्य ने यह ध्यान नहीं दिया है कि समस्त देश के मजदूरों ने हमारी इस कार्यवाही का स्वागत किया है तथा हमें पूरा समर्थन दिया है । हमने जो कार्यक्रम घोषित किया है उससे वास्तविक शक्ति प्राप्त करने में उन्हें सहायता मिली है और इसी कारण मजदूर संघों ने इस आर्थिक कार्यक्रम का अत्यधिक स्वागत किया है और पूरा सहयोग देने का वचन दिया है । इस थोड़े से समय में ही हमारे अनुमान से कहीं अधिक औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार हुआ है ।

वास्तव में जो लोग हमारा विरोध कर रहे है उनके दल में ही इस बात से भ्रम हो गया है कि देश के बाहर कौन कौन से लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं कौन उनका समर्थन कर रहे हैं ।

कुछ विपक्षी मित्र परिवर्तनवाद और समाजवाद का प्रचार कर रहे हैं । मैंने कभी यह दावा नहीं किया है कि मैं एक सिद्धान्तवादी समाजवादी हूं । समाजवाद के बारे में मेरा अपना मत है कि भारतीय समाज में कैसा समाजवाद होना चाहिए उस लक्ष्य की ओर मैं तत्परता से अग्रसर होती जा रही हूं । इसकी गति धीमी है किन्तु मेरा विश्वास है कि हम निश्चितरूप से इस रास्ते पर प्रगति करेंगे । और यही कारण है कि यद्यपि लोग कई बार हमसे अप्रसन्न रहे हैं किन्तु संकट की हर घड़ी में सभी वर्ग के लोगों ने एक हो कर हमारा साथ दिया है ।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तलवार लकड़ी की है । किन्तु खिलौना-तलवार लेने का क्या तात्पर्य है । वे इससे कौन सा खेल खेल रहे हैं । उनका वास्तविक शस्त्र वह प्रशिक्षण है जिससे वे लोग अपनी शाखा में नवयुवकों को देते हैं । मैं उस हिंसा की निन्दा करती हूं जिसका वे प्रचार कर रहे हैं किन्तु उनका वास्तविक हथियार कुछ और ही है । यह उनका खुसफुसाहट अभियान है ।

कल एक विपक्षी सदस्य ने जानना चाहा कि फासिस्टवाद क्या है। फासिस्टवाद का अर्थ केवल दमन ही नहीं है और यह अर्थ भी नहीं है कि पुलिस अधिक शक्ति का प्रयोग करे या लोगों को जेल भेजा जाये, यह तो धोखा मात्र है। यह झूठ का प्रचार करना है तथा किसी को बलि का बकरा बनाना है ताकि आगे बढ़ा जाये और जन संघ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का यही प्रमुख हथियार रहा है। ये दोनों वास्तव में भिन्न भिन्न लगते हैं किन्तु इनमें कोई अन्तर नहीं है। उन्होंने हर प्रकार का झूठ कहा है, आपातकालीन स्थिति के समय से ही नहीं किन्तु पिछले चार वर्षों से वे यह सब करते आ रहे हैं।

आज भी बड़े पैमाने पर फुसफुसाहट हो रही है कि किसी को मकान में ही नजरबन्द किया है किसी ने भूख हड़ताल की है कोई मर गया है, आदि। लोकतंत्र की यह परिभाषा उनकी अपनी है हमारी नहीं है। हम झूठ और धोखा धड़ी में विश्वास नहीं करते और न हम ऐसे लोक तन्त्र में विश्वास करते हैं।

मेरी कहीं से उद्धरण देने की आदत नहीं है किन्तु "अवर नेशनहुड डिफाइन्ड" नामक पुस्तक में श्री गोलवालकर ने लिखा है कि जर्मनी ने अपने देश से यहुदियों को निकाल कर यह सिद्ध किया कि भिन्न भिन्न जातियों के लोक एक साथ नहीं रह सकते। भारत को इससे सबक सीखना चाहिए और फायदा उठाना चाहिए।

विभाजन के बाद जो मुसलमान भारत में रहे उनके बारे में यह कहा गया है कि हमें यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे एकाएक ही देशभक्त हो जायेंगे। बल्कि पाकिस्तान के बनने से मुसलमानों का आतन्क सौगुना बढ़ गया है और ये पाकिस्तान को हमारे देश पर आक्रमण करने में मदद करेंगे।

मैं अहमदाबाद जांच प्रतिवेदन से उद्धृत करना चाहती हूं :—

> "इस साक्षी से यह पता चलता है कि मुसलिम सम्पति पर संगठित आक्रमण किये जा रहे थे और लारियों पर उपद्रवियों को तथा हथियारों को ढोया जा रहा थ और भीड़ का मार्गदर्शन जन संघ का कोई कार्यकर्ता कर रहा था।"

यह सितम्बर, 1969 की बात है। दिसम्बर, 1971 में तेलीचेरी में हुए दंगों के बारे में प्रतिवेदन में कहा गया है :—

> "मुझे इसमें सन्देह नहीं कि तेलीचेरी की हिन्दुओं में मुसलिम विरोधी भावनाएं भड़काने में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने सक्रिय भाग लिया है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ईसाईयों के बारे में क्या कहता है :—

> "जहां तक ईसाईयों का सम्बन्ध है वह देखने से तो अहानिकर प्रतीत होते है किन्तु वह न केवल अधार्मिक है बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं।"

[श्रीमति इन्दिरा गांधी]

गांधी जी के नेतृत्व के बारे में और नारी और प्रजातन्त्र के बारे में उनके विचारों को देख कर सब अनुमान लगा सकते हैं कि अभी विचारधारा कैसी थी और यह देश को किस ओर से जाना चाहते थे।

फासिस्टवाद के बारे में उन्होंने पूछा है "फासिस्टवाद झूठ फैलाने और किसी को बलि का बकरा बनाने के अतिरिक्त हिंसा का प्रचार करने और युवा वर्ग को हिंसा और आतंक में प्रशिक्षण देना है।"

हम जानते हैं इन दलों का हिंसा में अटूट विश्वास है और यही लोग मोर्चा का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जिसने आरम्भ से अब तक फासिस्टवाद का विरोध किया है।

हमने संविधान के अनुसार कार्यवाही की है किन्तु इस बारे में भी यह कहा जा रहा है कि हिटलर ने भी ऐसा ही किया था। किन्तु बात बिल्कुल ऐसी नहीं है अगर आप यह जानना चाहते हैं तो आप इतिहास की पुस्तकें पढ़ें और आपको पता चल जायेगा कि दोनों स्थितियों में कोई समानता नहीं है। मुझे इतिहास की पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता इस लिये नहीं है क्योंकि उस समय में मैं जर्मनी में थी और जो कुछ हो रहा था मैं जनती हूं।

मैं विपक्षी सदस्यों से पूछना चाहती हूं कि वह किसी ऐसे एक भी राष्ट्राध्यक्ष का नाम बता सकते हैं जिसने इतने वर्षों तक इतना सहन किया हो विश्व में ऐसा कोई देश नहीं जिसमें इस प्रकार के झूठ, और हिंसा को इतने समय तक सहन किया गया हो (**व्यवधान**) .... अब हमें लोकतन्त्र पर भाषण दिये जा रहे हैं।

श्री जय प्रकाश नारायण ने कहा था कि 1967 के आम चुनावों के परिणामस्वरूप जो राजनीतिक अस्थिरता आई है, उसके लिये राष्ट्र को इस शून्य को भरने के लिये सेना की सहायता लेनी चाहिए ताकि वह इस अस्थिरता को ठीक कर दें। क्या लोकतन्त्र में आस्था ऐसी ही होती है ?

जैसा कि कल कहा जा चुका है कि संसद का सत्र बुलाना ही इस बात को सिद्ध करता है कि भारत में लोक तन्त्र विद्यमान है। विपक्षी दल के सदस्यों का अधिक संख्या में यहां उपस्थित होना ही इस बात का प्रमाण है कि सभी सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। यह कार्यवाही पूर्णतया हमारे संविधान के अन्तगत है। यह संविधान को नष्ट करने के लिये नहीं बल्कि इसकी सुरक्षा और अनुरक्षण और लोकतन्त्र की सत्ता के लिये की गई है।

हमारे संविधान-निर्माता यह जानते थे कि इस प्रकार भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे न केवल बाहरी आक्रमण से बल्कि आन्तरिक अशान्ति से भी राष्ट्र जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है इसके लिये ही उन्होने आपातकालीन उपबन्धों की अलग से व्यवस्था की है। अब विपक्षी मोर्चा अपनी गतिविधियों से लोकतन्त्र को ही समाप्त करना चाहते थे, सेना में और पुलिस में असन्तोष फैलाना चाहते थे। हमें अपने दिलों को टटोलना चाहिये कि लोक-तन्त्र से विनाश में किसकी रुचि है। जब भी इस सम्बन्ध में चर्चा आई है हमने हमेशा ही

यह कहा है कि किसी भी पद्धति में दोष हो सकते हैं, उन्हें बातचीत करके दूर किया जा सकता है क्योंकि किसी देश में कोई भी पद्धति बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती, समय के अनुसार उनमें परिवर्तन किया जा सकता है।

गुजरात में जो हिंसात्मक आन्दोलन हुआ है, सदन उससे अवगत है। किसी ने भी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिलाया कि वहां किस प्रकार त्याग पत्रों की मांग की गई। गुजरात विधान सभा भंग किये जाने के बाद सार्वजनिक सभाओं में खुली घोषणाएं की गई थी कि भारत में संसदीय प्रणाली उपयुक्त नहीं है, चुनाव प्रणाली, जिस की संविधान में व्यवस्था है, पर निरन्तर प्रहार किया जाता रहा है। इसके लिये कौन जिम्मेदार है? इस चुनौती का किसने सामना किया तथा संविधान और संसद के औचित्य को किसने स्वीकार किया? विघटनकारी आन्दोलन के तथा कथित नेताओं ने अपने अभियान का प्रबन्ध आर० एस० एस० को देने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं हुई। जबकि उन्हें राष्ट्रजीवन साम्प्रदायिक दंगों और साम्प्रदायिक नफरत भड़काने में आर० एस० एस० भी गतिविधियों की पूरी जानकारी थी।

मूल विषयों, प्रजातन्त्र एवं प्रजातांत्रिक संस्थाओं के कार्यकरण के बारे में गम्भीरता से विचार करने का समय आ गया है। राजनीतिक स्वतन्त्रता एवं राजनीतिक अधिकार तभी बने रह सकते हैं जब तक राजनीतिक व्यवस्था बनी रहे। निरकुंशवाद से व्यक्ति की स्वतन्त्रता और राजनीतिक अधिकारों का हनन होता है। निर्वाचित सरकार की नीतियों के विरुद्ध जन असन्तोष की अभिव्यक्ति को नियमित करने की आवश्यकता के बारे में कोई सन्देह नहीं है। हम हमेशा यह कहते हैं कि हमने ऐसी आलोचना को रोकने के लिये कभी प्रयत्न नहीं किया।

प्रजातन्त्र में प्रतिनिधि संस्थाओं का अस्तित्व लोगों द्वारा प्रतिनिधि चुनने की इच्छा की अभिव्यक्ति एवं राष्ट्रीय मामलों में लोगों का सहयोग निहित है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि एक बार प्रतिनिधि निर्वाचित हो जाये और बहुमत के अनुमोदन से सरकार बन जाए तो यह सरकार उन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिये स्वतन्त्र हैं जिसका वचन उन्होंने जनता को दिया था।

भारत में प्रजातन्त्र का विकास विलक्षण परिस्थितियों में हुआ है। लाखों गरीब लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिये और सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिये समानता का अवसर प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। वे सरकारों को चुन रहे है और अपनी भावना के अनुरूप सरकार के कार्य में भाग ले रहे हैं। अतः प्रश्न व्यक्ति के राजनीतिक अधिकारों एवं जनता के सामूहिक सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाने का है।

जनता ने आपात स्थिति का स्वागत किया है क्योंकि उनका पूर्ण विश्वास है कि विपक्ष देश को खतरे में डाल रहा था। और हमें उस समय जब कि अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति सम्बन्धों तथा ढांचे में नाजुक परिवर्तन हो रहे हैं।

विश्व के किसी अन्य देश की अपेक्षा भारत में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता कहीं अधिक है और अधिकांश देश हमें लोक तन्त्र पर भाषण दे रहे हैं जो ऐसे शासन के समर्थक हैं जिसका मैं उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझती।

[श्रीमति इन्दिरा गांधी]

ग्रापात स्थिति की उद्घोषणा से पहले व्याप्त राजनीतिक ग्रस्थिरता वास्तव में सामान्य स्थिति नहीं थी। नितान्त उच्छृखलता ग्रौर राजनैतिक स्वच्छंदता के दिन वापस नहीं ग्रा सकते लोकतन्त्र का ग्रर्थ है हम सब को ग्रात्म-निग्रह करना चाहिये। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह विपक्ष को कार्य करने की ग्रनुमति दे, ग्रभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता दे ग्रौर संगठन की स्वतन्त्रता दे। लेकिन विपक्ष का भी उतना ही कर्तव्य है कि वह लोकतन्त्र नष्ट करने या सरकार को निष्क्रय बनाने के लिये उस ग्रधिकार का दुरुपयोग न करे।

ग्रन्ततोगत्वा जनता ने ग्रापात स्थिति का स्वागत किया है। ग्रब राष्ट्रीय जीवन का नया युग ग्रारम्भ हुग्रा है। इस काल में हमें यह दिखाना चाहिए कि कैसे ग्रात्मानुशासन का वातावरण लाया जाये। हमें इस दुःखद ग्रनिवार्यता को ग्रागे बढ़ने ग्रौर ग्रपने कार्य क्रमों की लक्ष्यसिद्धि के लिये नये ग्रवसर परिवर्तित करना चाहिये।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि जिन ग्रार्थिक कार्यक्रमों की घोषणा की गई है उसमें क्या कुछ नहीं है। ग्रब इसमें नयापन यह है कि ग्रब इन्हें लागू करना ग्रासान हो गया है। सभी वर्गों के लोगों ने इसमें ग्रपने सहयोग देने की बात कही है।

हमने कुछ कार्यक्रमों की घोषणा की हैं। मैं विपक्ष से प्रयत्न करने ग्रौर हमारे इस प्रयास में सहायता करने का ग्रनुरोध करती हूं जिससे इस दुख:द ग्रावश्यकता को साथ-साथ काम करने के ग्रवसर में बदला जा सके ग्रौर देश को ग्रागे लाया जा सके।

श्री एच० एम० पटेल (ढुडुका) : ग्राज समाचार पत्रों में केवल मन्त्री महोदय श्री जगजीवन राम का ही भाषण छपा है। क्या यह उचित है? ग्रापात स्थिति क्यों ग्रावश्यक है? इस सम्बन्ध में देश के सामने केवल सरकारी दृष्टिकोण ही रखा गया है परन्तु विपक्ष का वह दृष्टिकोण नहीं रखा गया कि यह क्यों कर ग्रावश्यक है।

संसद लोगों के ग्रधिकारों ग्रौर स्वतन्त्रता की रक्षक है ग्रौर यह एक मंच है जहां जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि ग्रागे ग्राकर ग्रपने विचार रखते हैं यदि उनके विरोधी विचार प्रकाशित नहीं किये जाते तो ग्रौर उन लोगों को नही बताये जाते जिन्होंने उन्हें चुनकर भेजा है तो उनके यहां ग्राने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। ग्रतः सेन्सर के लिये कोई मार्गदर्शन होना चाहिये जिससे उनके रचनात्मक विचारों को छापा जा सके।

मूल प्रश्न यह है कि ग्रापातकालीन स्थिति की घोषणा क्यों की गई। सरकार का कहना यह है कि उसे ऐसी कार्यवाही की ग्राशंका थी जिससे सरकार का कार्य ठप्प हो जाता, संकल्प प्रस्तुत करने वाले मन्त्री महोदय के कथानानुसार इन लोगों का षडयन्त्र व्यापक एवं सुगठित था ग्रौर यह स्थिति वर्ष 1967 से चलती ग्रा रही थी तथा इस समय यह गतिविधि इतनी सुगठित थी कि केवल ग्रापात स्थिति की घोषणा करके ही इसको समाप्त किया जा सकता था। यदि षडयंत्र शक्तिशाली होता तो क्या ग्रापातकालीन स्थिति की घोषणा करने के बाद षडयंत्रकारियों की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती? कहीं कोई हिंसात्मक घटना नहीं हुई ग्रौर न ही कहीं प्रदर्शन हुग्रा। लोग यह देख कर स्तब्ध रह गये कि ऐसे समय में ग्रापातकालीन स्थिति की घोषणा की गई जबकि स्थिति सामान्य थी।